दिनांक : 20-12-2016

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान का विश्लेषण
वित्तीय वर्ष- 2015-16

नेशनल इलेक्शन वाच

और

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

Association for Democratic Reforms
T-95A, I floor, C.L. House, Gautam Nagar
New Delhi – 110 049
Email: adr@adrindia.org; Phone: 011-4165 4200

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा रु 20,000 से अधिक प्राप्त दान का विश्लेषण - वित्तीय वर्ष- 2015-16

राजनीतिक दल विभिन्न स्त्रोतों से दान प्राप्त करते हैं इसलिए जवाबदेही और पार्दर्शिता उनके कामकाज का महत्वपूर्ण पहलु होना चाहिए | व्यापक और पार्दर्शी लेखा प्रणाली के लिए आवश्यक है की पार्टियां सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करें |

इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सात राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित की गयी दान का विश्लेषण है | यह सात राष्ट्रीय दल : भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, बसपा और त्रिणमूल कांग्रेस हैं |

त्रिणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय दल होने के कारण चुनाव आयोग ने इस पार्टी को सितम्बर 2016 में राष्ट्रीय पार्टी **घोषित** कर दिया है |

सारांश

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

I. **रु 20,000 से अधिक के दान का विवरण : राष्ट्रीय दल वि व. 2015-16**

a. राजनीतिक दलों को हरवर्ष रु 20,000 से ज्यादा दान देने वाले दानदाताओं की सूचि चुनाव आयोग को देनी होती है | इस रिपोर्ट में उन दानदाताओं का विश्लेषण है जिनकी जानकारी दलों ने चुनाव आयोग में जमा की है |

b. राष्ट्रीय दलों द्वारा वि व् 2015-16 में अर्जित की गयी रु 20,000 से अधिक की दान राशि रु 102.02 करोड़ है जो 1744 दानों द्वारा प्राप्त हुआ |

c. भाजपा को 613 दानों द्वारा पूरे भारतवर्ष से रु 76.85 करोड़ प्राप्त हुआ और कांग्रेस को 918 दानों से रु 20.42 करोड़ मिला | भाजपा का कुल दान बाकी 6 राष्ट्रीय दलों के कुल दान से 3 गुना से अधिक है |

d. बसपा ने पिछले दस वर्षों की तरह, इस वित्तीय वर्ष में भी यह दर्शाया है की पार्टी को रु 20,000 से अधिक का दान वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त नही हुआ है |

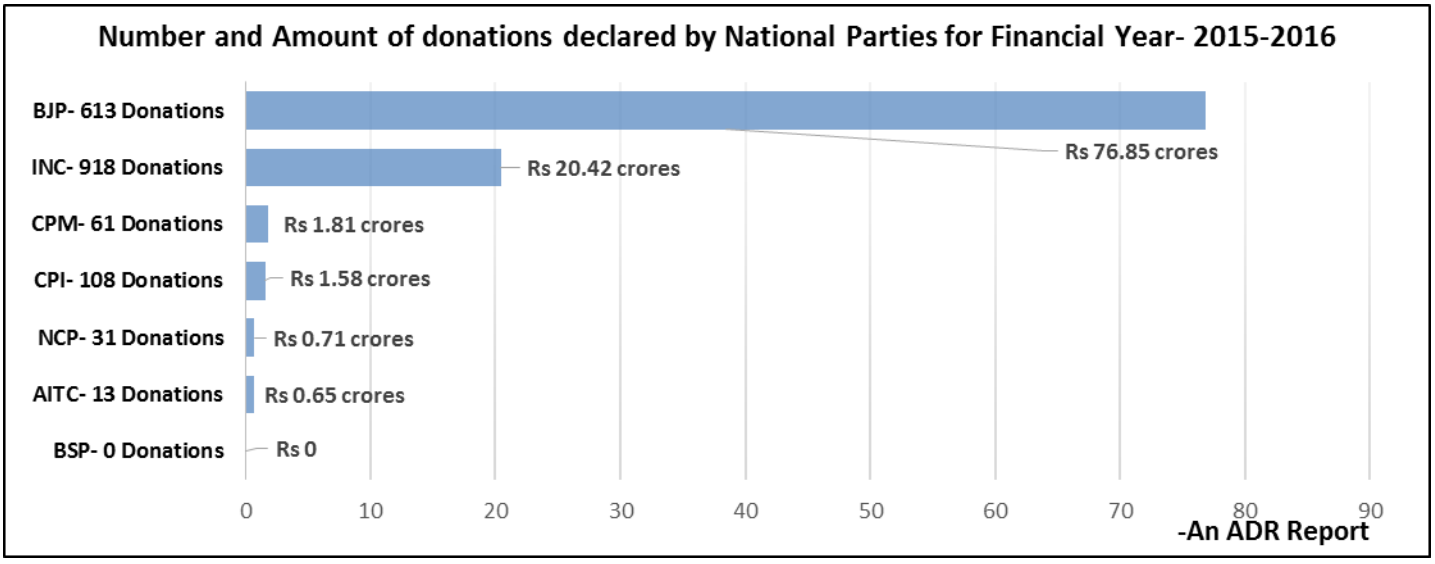

II. वि व् 2014-15 और वि व् 2015-16 में राष्ट्रीय दलों को प्राप्त दान की तुलना

a. वि व् 2014-15 की तुलना में राष्ट्रीय दलों की कुल दान वि व् 2015-16 में 84% या रु 528.67 करोड़ की गिरावट देखी गयी है |
b. एनसीपी का दानराशि वि व् 2014-15 की तुलना में 98% (रु 437.35 करोड़) कम घोषित किया है | वि व् 2014-15 में पार्टी ने रु 38.82 करोड़ प्राप्त किये वही वि व् 2015-16 में पार्टी का दान रु 71 लाख ही है |
c. यहाँ पर ध्यान देने की बात है की भाजपा के दान में वि व् 2013-14 और 2014-15 के बीच 156% वृद्धि देखी गयी वही कांग्रेस को इसी अवधि के दौरान 137% की दान वृद्धि हुई|

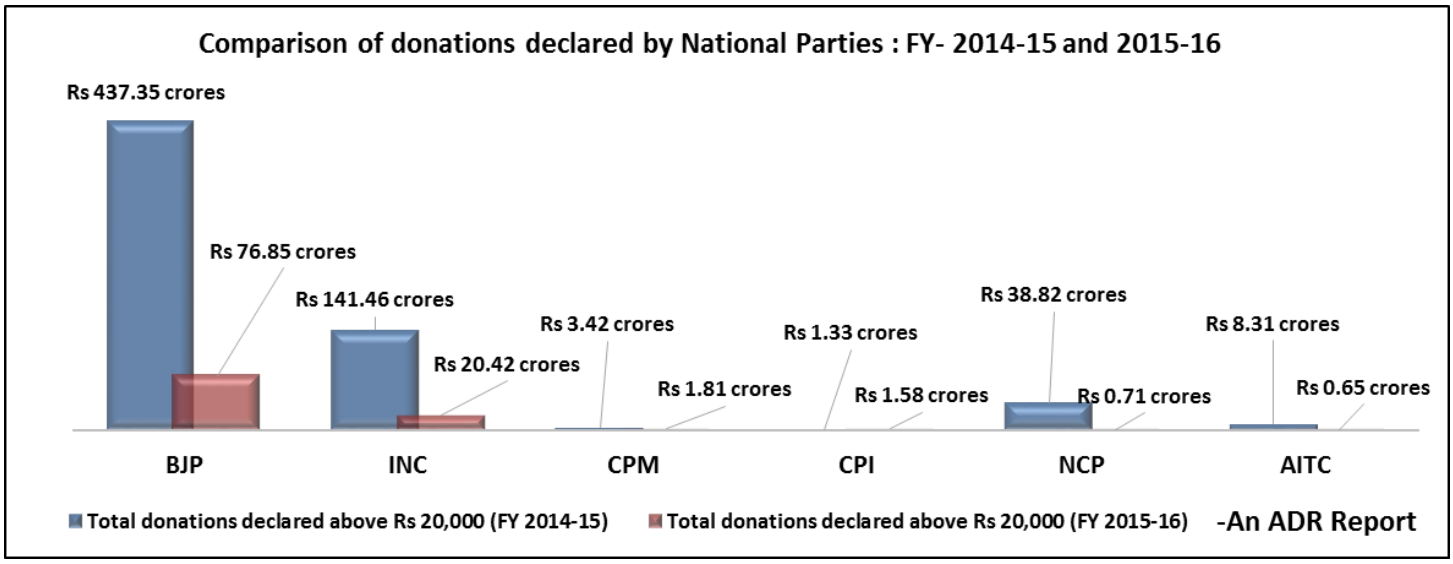

III. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित नकद दानराशि

29 अगस्त 2014 को चुनाव आयोग कि एक अधिसूचना में कहा कि " **कोई भी व्यक्ति या कंपनी, जो नकदी के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा देगी उसे कर में कोई छूट नही दी जायेगी**" | यह अधिसूचना वि व् 2014-15 के बाद से लागू किया गया था | इस प्रकार, राजनीतिक दलों को नकदी के माध्यम से दान देने वाले दान-दाताओं कि कमी देखी गयी है | वि व् 2014-15 के दौरान राजनीतिक दलों को 0.14% (रु 89 लाख) का दान रु 20,000 से अधिक के दान से प्राप्त हुआ था |

a. वि व् 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय दलों को कुल रु 102.02 करोड़ का दान प्राप्त हुआ है, जिसमें 112 दान दाताओं ने नकदी के माध्यम से रु 1.45 करोड़ का दान दिया, जो पूरे दान का 1.42% है |
b. नकदी के माध्यम से कांग्रेस ने सबसे अधिक रु 1.17 करोड़ का दान 10 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से, सीपीआई ने रु 22.22 लाख 12 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से और भाजपा ने रु 51 हजार का दान बिहार से प्राप्त किया है |
c. सभी राज्यों में से राष्ट्रीय दलों को कर्नाटक से रु 80 लाख और मेघालय से रु 21.54 लाख का दान नकदी के माध्यम से प्राप्त हुआ है | ये शीर्ष नकद दान कांग्रेस ने घोषित किया है |

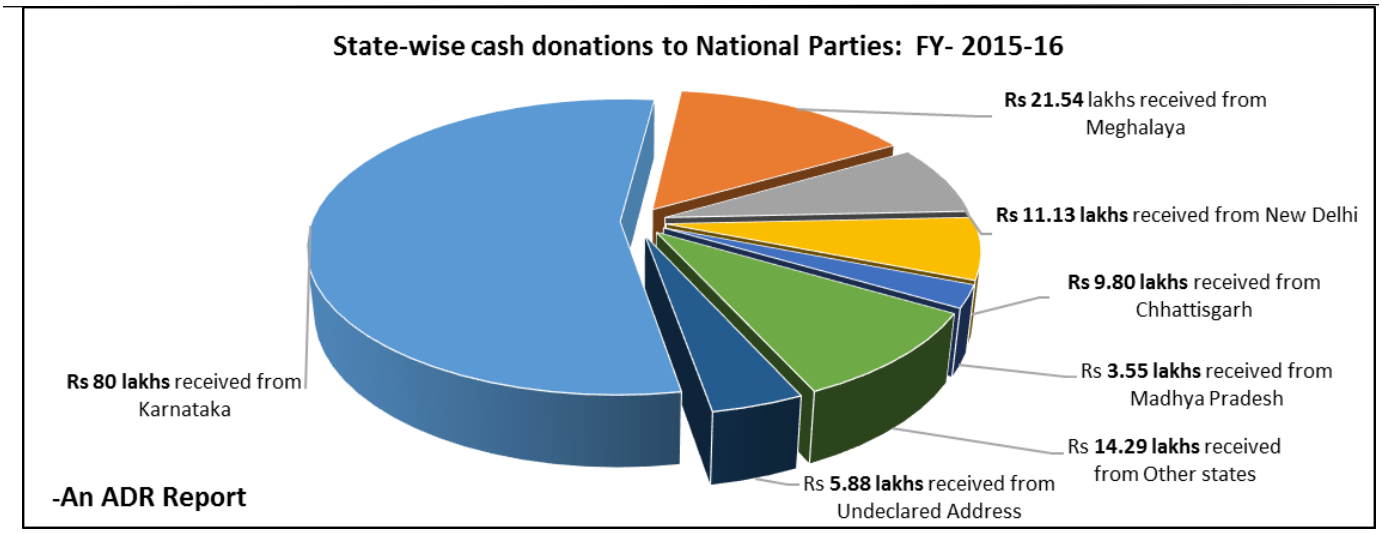

IV. **<u>राष्ट्रीय दलों का राज्यवार दान - नकद, चेक / डीडी, बैंक स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त दान</u>**

a. चुनाव आयोग में दलों द्वारा जमा किये गए दान रिपोर्ट से, एडीआर/एन.इ.डब्लू ने दान दाताओं द्वारा घोषित किये गए पते से राष्ट्रीय दलों का राज्यवार विवरण किया है |

b. वि व् 2015-16 में, राष्ट्रीय दलों को दिल्ली से कुल रु 54.13 करोड़, महाराष्ट्र से रु 11.92 करोड़ और कर्नाटक से रु 8.64 करोड़ दान मिला है |

c. राष्ट्रीय दलों ने अपने दान रिपोर्ट में दान दाताओं के अधूरी जानकारी देने के कारण, दलों के कुल दान का 3% या रु 2.61 करोड़ का दान, किसी राज्य या संघ शासित प्रदेशों में नहीं जोड़ा जा सकता था |

V. **<u>कॉर्पोरेट दान दाताओं और व्यक्तिगत दान दाताओं</u>**

a. वि व् 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय दलों को रु 77.28 करोड़ (कुल दान का 75.75%) का दान 359 कॉर्पोरेट दान दाताओं से और रु 23.41 करोड़ का दान (कुल दान का 22.95%) 1322 व्यक्तिगत दान दाताओं प्राप्त हुआ है |

b. भाजपा को 283 कॉर्पोरेट दान दाताओं से रु 67.99 करोड़ और 330 व्यक्तिगत दान दाताओं से रु 8.86 करोड़ दान प्राप्त हुआ है |

c. कांग्रेस को 57 दानों द्वारा कॉर्पोरेट दान दाताओं ने रु 8.83 करोड़ का दान मिला और 859 व्यक्तिगत दान दाताओं से रु 11.24 करोड़ की चंदा मिली |

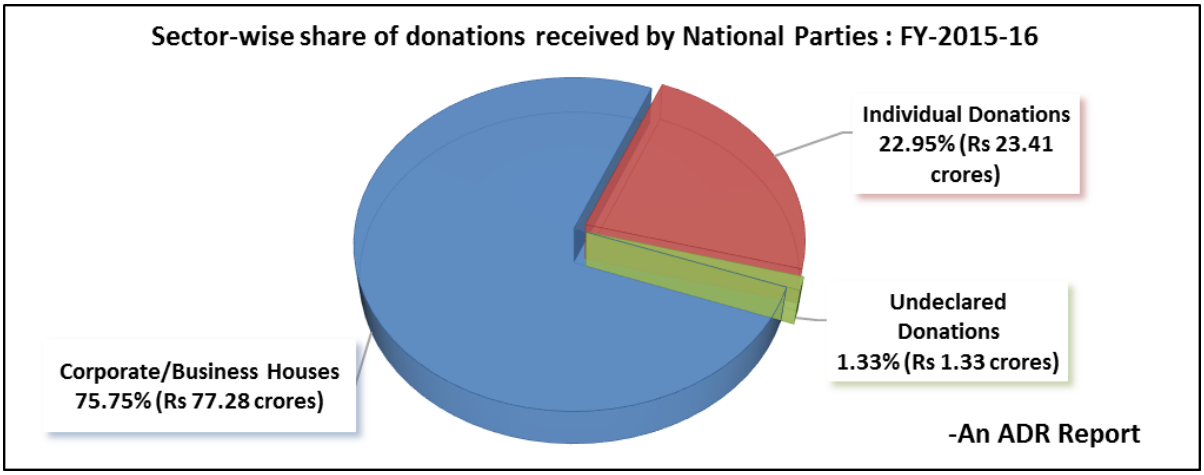

VI. दान रिपोर्ट में जानकारी का अधूरा प्रकटीकरण

a. सात राष्ट्रीय दलों में से, चार (भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी) ने अपने दान रिपोर्ट में सारे दान दाताओं का पूर्ण पैन विवरण नही दिया है | पैन का ब्यौरा 473 दानों के लिए उपलब्ध नही है जिनसे दलों को रु 11.68 करोड़ का दान मिला | कांग्रेस ने 318 दान दाताओं से रु 8.11 करोड़ प्राप्त की लेकिन इन दान दाताओं का पैन विवरण उपलब्ध नही है | भाजपा ने भी 71 दान दाताओं से रु 2.19 करोड़ प्राप्त किये मगर उनका पैन विवरण घोषित नही की |

b. सीपीएम ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट दान रिपोर्ट प्रारूप में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है | पार्टी ने अपने दान रिपोर्ट में 61 दान के योगदान का माध्यम का ब्यौरा उपलब्ध नहीं किया है | योगदान का माध्यम में दलों को चेक/ डीडी नंबर, बैंक का नाम, चेक/ डीडी प्राप्ति की तारीख या नकद/ बैंक हस्तांतरण की जानकारी देना अनिवार्य है |

c. त्रिणमूल कांग्रेस ने भी अपने दान रिपोर्ट में चेक/ डीडी नंबर, बैंक का नाम, चेक/ डीडी प्राप्ति की तारीख जैसे जानकारी घोषित नही किया है | वि व् 2015-16 में, बिना योगदान का माध्यम की, पार्टी ने 12 दान दाताओं से रु 65 लाख इकट्ठा किया है |

d. सीपीआई ने भी अपने दान रिपोर्ट में चेक/ डीडी नंबर, बैंक का नाम, चेक/ डीडी प्राप्ति की तारीख जैसे जानकारी घोषित नही किया है | बिना योगदान के माध्यम से , पार्टी ने 71 दान दाताओं से रु 1.19 लाख इकट्ठा किया है |

e. हालांकि सीपीआई को 13 राज्य सचिवों ने रु 59.68 लाख की दान दिया है, पार्टी ने उनका नाम और पैन नंबर घोषित नहीं किया है, कुल 82 दानों से पार्टी को रु 1.13 करोड़ के दान प्राप्त हुआ पर पार्टी ने दान रिपोर्ट में दान दाताओं का पैन नंबर घोषित नही किया है |

VII. शीर्ष के दो दान दाता : वि व् 2015-16

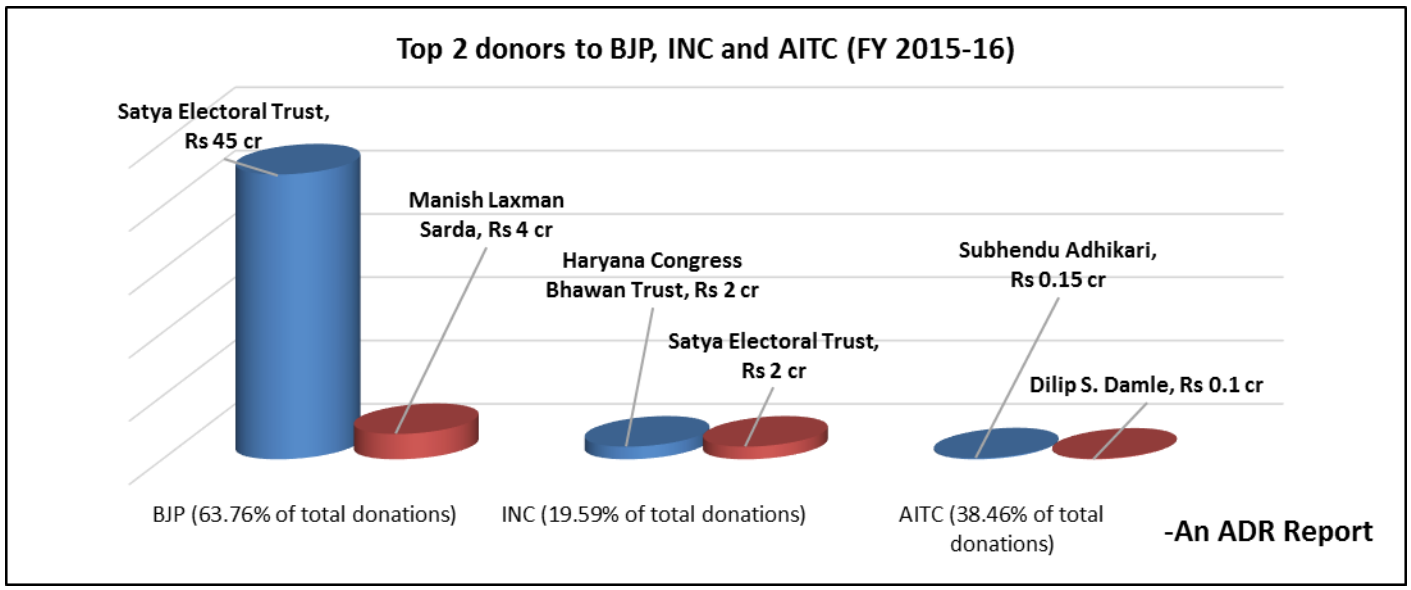

a. सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा और कांग्रेस को कुल रु 47 करोड़ का दान दिया है, यह ट्रस्ट ही दोनों दलों के शीर्ष दो दान दाताओं में से एक है | सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को रु 45 करोड़ (कुल प्राप्त दान का 58.56%)और कांग्रेस को रु 2 करोड़ (कुल प्राप्त दान का 9.79) का दान दिया है |

b. सीपीआई के शीर्ष दान दाता, सचिव, केरल राज्य परिषद ने सबसे अधिक रु 36.80 लाख और सुधाकर रेड्डी ने रु 11 लाख का दान संग्रह, लेवि और सदस्यता शुल्क के माध्यम से घोषित किया है |

एडीआर के अवलोकन और सुझाव

अवलोकन

a. वि व् 2015-16 में भी राष्ट्रीय दलों द्वारा दिए गए दान का विवरण अस्पष्ट है |
b. वि व् 2014-15 के दौरान आईएनसी द्वारा जमा कि गयी रिपोर्ट में दान के माध्यम का विवरण करने वाले स्तम्भ में चेक/डीडी संख्या का उल्लेख नही था, इसके अंतर्गत 192 दान दाताओं से कुल रु 138.98 करोड़ का दान प्राप्त किये गये | ये दल को मिले रु 20,000 से अधिक के दान का 98% है |
c. वि व् 2015-16 में आईएनसी द्वारा घोषित किये गये 318 दान दाता ऐसे हैं जिनका पैन विवरण उपलब्ध नही हैं जिनसे पार्टी ने रु 8.11 करोड़ प्राप्त किये हैं | इनमें से कुल दान का 49% या रु 3.99 करोड़ व्यक्तिगत दान दाताओं से और कुल दान का 51% या रु 4.12 करोड़ कॉर्पोरेट दान दाताओं द्वारा दान दिया गया है | राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार नियमों कि प्रबल उपेक्षा को प्रतिबंधित करना चाहिए और ऐसे दान जिनका विवरण अपूर्ण है, वे 100% कर में छूट के लाभ हक़दार नही होने चाहिए |
d. वि व् 2014-15 में भाजपा को रु 83.915 लाख ऐसे दान दाताओं से प्राप्त हुआ है जिनका पैन, पता, दान का माध्यम दान रिपोर्ट में उपलब्ध नही है | दान रिपोर्ट में पार्टी ने केवल दान दाताओं का नाम और दान राशि ही उपलब्ध करायी है | इनमें से 73% पूंजी कॉर्पोरेट द्वारा दी गयी है तथा 27% व्यक्तिगत दान दाताओं द्वारा दी गयी है | वि व् 2015-16 में भाजपा ने 71 दान दाताओं से रु 2.19 करोड़ प्राप्त किये मगर उनका पैन विवरण घोषित नही की |
e. सीपीएम द्वारा जमा कि गयी दान रिपोर्ट में दान के माध्यम का स्तम्भ नही है | इसके अंतर्गत 61 दान हैं जिनकी कुल राशि रु 1.81 करोड़ है | ये राशि दल को मिले हुए रु 20,000 से अधिक दान का 100% है | **पूरी जानकारी के बिना चेक और डीडी द्वारा प्राप्त दान राशि का पता लगाना मुश्किल है |**

एडीआर के सुझाव

- सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितम्बर 2013 को यह घोषित किया कि उम्मीदवारों के शपथपत्र का कोई भी हिस्सा खली नही रहना चाहिए इसी प्रकार फॉर्म 24ए (जोकि राजनीतिक, दलों द्वारा रु 20,000 ज्यादा दान देने वाले लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है) का भी कोई हिस्सा खाली नही होना चाहिए |
- क्योंकि राजनीतिक दलों कि आय का अधिकतम प्रतिशत (80%) अज्ञात स्त्रोतों से आता है| दान दाताओं कि पूरी जानकारीए सार्वजानिक जाँच के लिए आम जनता को उपलब्ध होनी चाहिए | भूटान, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, बल्गेरिया, अमेरिका तथा जापान जैसे देशों में ऐसा किया जाता है| इन देशों में किसी भी देश में राजनीतिक दलों के आय स्त्रोत का 75% अज्ञात रहना असम्भव होगा|
- सार्वजानिक जाँच हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को अपने दल को मिले दान का उचित तथा पूर्ण विवरण समय पर चुनाव आयोग को जमा कर देना चाहिए, फलस्वरूप ये वित्तीय पार्दर्शिता को प्रोत्साहित करेगा।
- राजनीतिक दलों को सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरन्तर तौर पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही राजनीतिक दल, चुनाव प्रक्रिया एवं लोकतंत्र सशक्त होगा ।

सम्पर्क:

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org	Maj Gen Anil Verma (Retd.) Head NEW & ADR +91 8826479910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd) Founder NEW & ADR +919999620944 jchhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder Member, NEW & ADR +919448353285, trilochans@iimb.ernet.in

Disclaimer

The data analysed in this report is based on the Contribution Reports submitted by the parties to the Election Commission of India (ECI) for the FY 2015-16. The same can be accessed from http://eci.nic.in/eci_main1/PolPar/political_parties_Contribution_report_2015.aspx

For complete list of donor details of all the National Parties, kindly visit http://myneta.info/party.

For other research reports on political party funding, kindly visit http://adrindia.org/research-and-report/political-party-watch